

न्यायालय :-प्रवीण कुमार सोंधिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सतना,
जिला-सतना (म.प्र.)

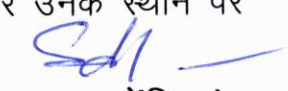
क्रमांक- / 26

सतना, दिनांक-11.07.2026

आपराधिक कार्य विभाजन आदेश वर्ष-2025 संशोधन आदेश क्रमांक-1

पूर्व प्रसारित आपराधिक कार्य विभाजन आदेश वर्ष-2026 में संशोधन करते हुये, एतद् द्वारा मैं, **प्रवीण कुमार सोंधिया**, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सतना, जिला-सतना म0प्र0 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-12(1), 12(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए सतना-जिले में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेटों के मध्य जो आपराधिक कार्य विभाजन आदेश वर्ष-2026 प्रभावशील है, मैं निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

1. कार्य विभाजन आदेश वर्ष-2026 के नोट की कण्डिका-17 में श्री भूपेश कुमार, जिला रजिस्ट्रार का नाम विलोपित कर उनके स्थान पर श्री पुष्पराज उईके जिला रजिस्ट्रार को प्रतिस्थापित किया जाता है।
2. कार्य विभाजन आदेश वर्ष-2026 के परिशिष्ट-अ में लैंगिक अपराध के बाद "एवं धारा-363 भा.द.सं./137 भा.ना.सु.सं. से संबंधित ऐसे मामले जिनमें फरियादी महिला हो" जोड़ा जाता है।
3. कार्य विभाजन आदेश वर्ष-2026 के परिशिष्ट-स की कण्डिका-9 की सब कण्डिका-4 से "श्री पुष्पराज सिंह उईके" का नाम विलोपित कर उनके स्थान पर "सुश्री सोनाली वर्मा" का नाम जोड़ा जाता है।


(प्रवीण कुमार सोंधिया)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सतना (म.प्र.)

पृष्ठांकन क्रमांक- 1.032/25

सतना, दिनांक-11.07.2025

प्रतिलिपि:-

- 1- माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, सतना।
- 2- समस्त ए.सी.जे.एम./न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सतना/अमरपाटन/चित्रकूट/उचेहरा /मैहर/नागौद/रामपुर बाघेलान/मझगवां।
- 3- पुलिस अधीक्षक, सतना।
- 4- सिस्टम ऑफीसर, सतना की ओर मेमो की प्रति उपरोक्त वर्णित सभी प्राधिकारियों को ई-मेल के माध्यम से भेजने के निर्देश के साथ प्रेषित।


(प्रवीण कुमार सोंधिया)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सतना (म.प्र.)